>

Title: Need to include the Nai (barber) community in the list of Scheduled Castes in Madhya Pradesh.

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): सभापति महोदय, देश में नाई जाति उपेक्षित है जिसे सेन समाज भी कहा जाता है। इस जाति के लोग आज भी अपने पारम्परिक व्यवसाय बाल काटने जैसे अनैच्छित कार्य कर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। इस जाति के लोग सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से आज भी पिछड़े हुए हैं। इस जाति की महिलाएं विवाह कार्यक्रमों, मरणोपरान्त होने वाले सभी क्रियाकर्मों में पारम्परिक तरीके से होने वाले कार्यक्रमों में कार्यों को सम्पन्न करके अपने बाल बच्चों के साथ जीवन-यापन कर रहे हैं। लेकिन इस नाई जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं होने के कारण इस नाई जाति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश विधान सभा में अशासकीय संकल्प प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और भारत शासन को भेजा जा चुका है लेकिन अभी तक इस नाई जाति को एससी श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। कई वर्षों से अखिल भारतीय नाई समाज संगठन इस जाति को एससी में शामिल करने की मांग कर रहा है परंतु इस जाति के लोगों की मांग की अनसुनी की जा रही है। इसलिए आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि नाई जाति को एससी श्रेणी में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जाए।